न्यायालय चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून।
जमानत प्रार्थना पत्र सं0–410/2026

राज्य बनाम अमीर उर्फ कल्लू

मु0अ0सं0–43/2026
अन्तर्गत धारा–3/5/11 गोवंश अधिनियम
थाना–प्रेमनगर, देहरादून।

दिनांक 18.04.2026

अभियुक्त/प्रार्थी अमीर उर्फ कल्लू, पुत्र श्री वाहिद, निवासी बहेड़ी बहदराबाद जिला हरिद्वार, मुकदमा अपराध संख्या–43/2026, अन्तर्गत धारा–3/5/11 गोवंश अधिनियम थाना प्रेमनगर देहरादून के मामले में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता सलाउद्दीन द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त दिनांक 13.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है और जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त को उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त से कोई कथित गोवंश बरामद नहीं हुआ है। अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है। गिरफतार करते समय पुलिस द्वारा धारा 105 बी0एन0एस का पालन भी नहीं किया गया है। अभियुक्त जमानत मिलने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अन्त में अभियुक्त की ओर से जमानत की याचना की गई है।

3. जमानत प्रार्थना–पत्र पर विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा आपत्ति कर कथन किया कि मुकदमा अपराध संख्या–43/2026, अन्तर्गत धारा 3/5/11 गोवंश अधिनियम में पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अंतर्गत धारा 3/5/11 गोवंश अधिनियम गंभीर एवं अजमानतीय प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया जाता है। थाने की आख्यानुसार अभियुक्त गौवंश जैसी घटना को कारित करने का आदि है। जमानत मिलने पर वह फरार होने की संभावना है एवं घटना को पुनः अंजाम दे सकता है एंव गैर जिले का निवासी है। अतः अभियुक्त के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया जाता है।

4. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. उपलब्ध पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है अभियुक्त पर अभियोग है कि मोहनपुर पावर हाउस के पीछे चाय बागान में उसके द्वारा गौवंश का वध कर घटना को कारित किया गया है। अभियुक्त पर लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति के है।

6. ऐसी स्थिति में मामलें के गुणदोष पर राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अमीर उर्फ कल्लू का जमानत प्रार्थना–पत्र मु0अ0सं0 43/2026 अन्तर्गत धारा–अन्तर्गत धारा 3/5/11 गोवंश अधिनियम खारिज किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त को निःशुल्क प्रदान की जाये तथा एक प्रति जिला कारागार, देहरादून को भी प्रेषित की जाये।

प्रभारी/चतुर्थ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
देहरादून